ई संदेश

12 मार्च, 2026 | अंक -195 एवं 196

सात दिन, सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 01 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला परिवारों को 1,500 करोड़ रु0 की रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी का अन्तरण किया

उ0प्र0 अपने नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा देकर, 'उत्सव प्रदेश' बन चुका है : मुख्यमंत्री

उ0प्र0 अपने नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा देकर 'उत्सव प्रदेश' बन चुका है: मुख्यमंत्री

चिकित्सा सुविधा ऐसी हो, जिसमें किसी भी स्तर पर छल न हो और प्रत्येक व्यक्ति उसे वहन करने की क्षमता रखता हो। : मुख्यमंत्री

क्यू0आर0टी0 वाहनों की उपलब्धता सोशल सिक्योरिटी, इण्डस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा : मुख्यमंत्री

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी करे : मुख्यमंत्री

सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन से ब्रज क्षेत्र की पहचान और अधिक सुदृढ़ होगी : मुख्यमंत्री

सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए, आज का समारोह नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 10 मार्च, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

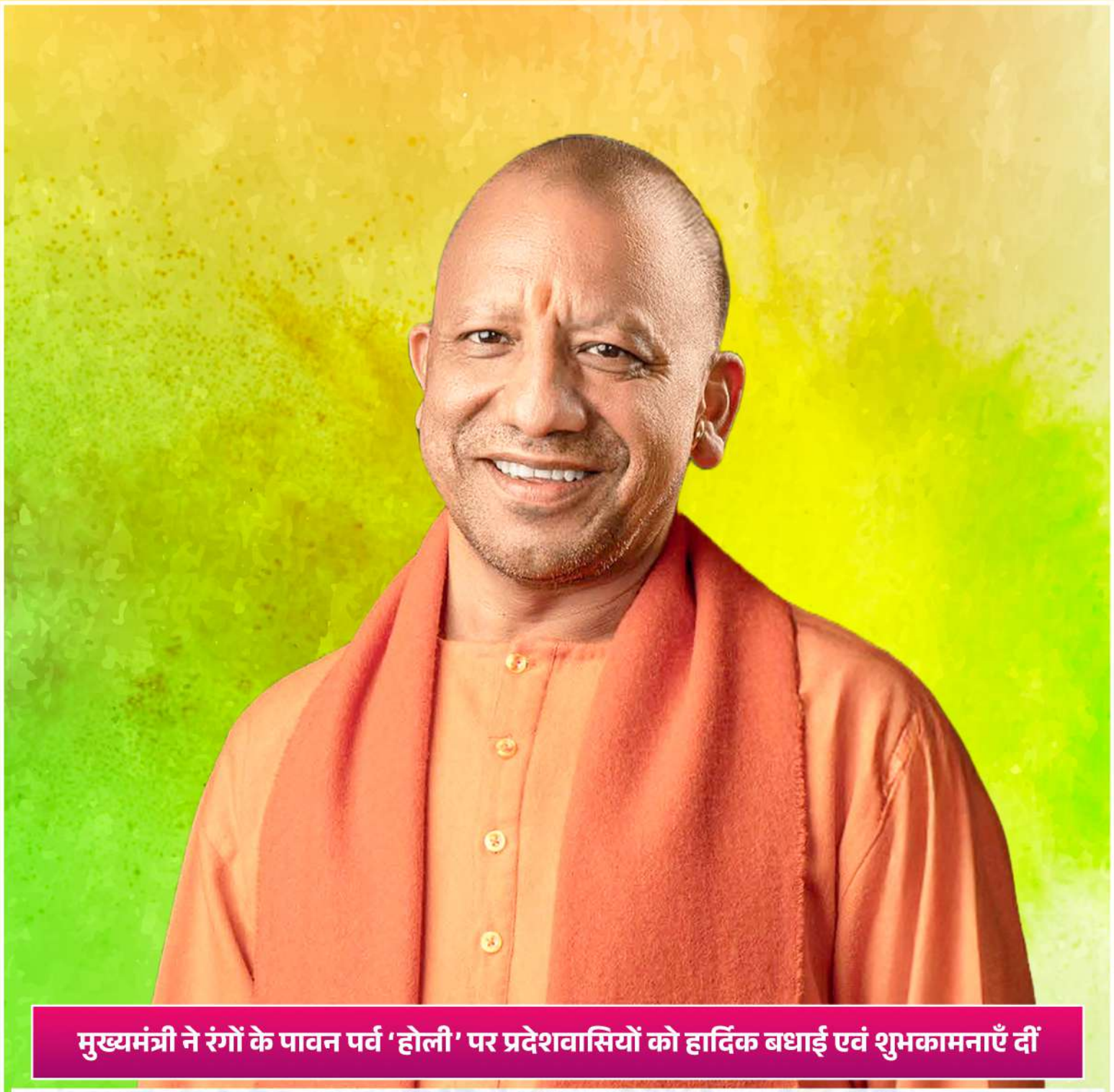

मुख्यमंत्री ने रंगों के पावन पर्व 'होली' पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 मार्च, 2026 को रंगों के पावन पर्व 'होली' पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि 'होलिकोत्सव' भारतीय संस्कृति का जीवन्त उत्सव है, जो सामाजिक समरसता, आत्मीयता, उत्साह और एकता की भावना को और सशक्त बनाता है। यह पर्व केवल रंगों का नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान, सौहार्द और सहयोग का प्रतीक है।

अपने शुभकामना सन्देश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विविधताओं से सम्पन्न उत्तर प्रदेश में हमारी साझा परम्पराएँ और लोक-उत्सव समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हैं। 'होली' हमें द्वेष, भेदभाव और नकारात्मक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'होली' का संदेश समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमन्द लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। त्योहार की सच्ची खुशी तभी सार्थक होती है, जब वह सभी के जीवन में पहुँचे। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को प्रोत्साहित करने की अपील की, ताकि प्रदेश के हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों के जीवन में खुशहाली के रंग भरे जा सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास, रोजगार, सुरक्षा, सुशासन और सामाजिक सद्भाव के नए मानक स्थापित कर रहा है। ऐसे में 'होली' जैसा पर्व हमारे सामूहिक संकल्प को और दृढ़ करता है कि हम एक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक समाज का निर्माण करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पर्व प्रदेश में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संचार करेगा।

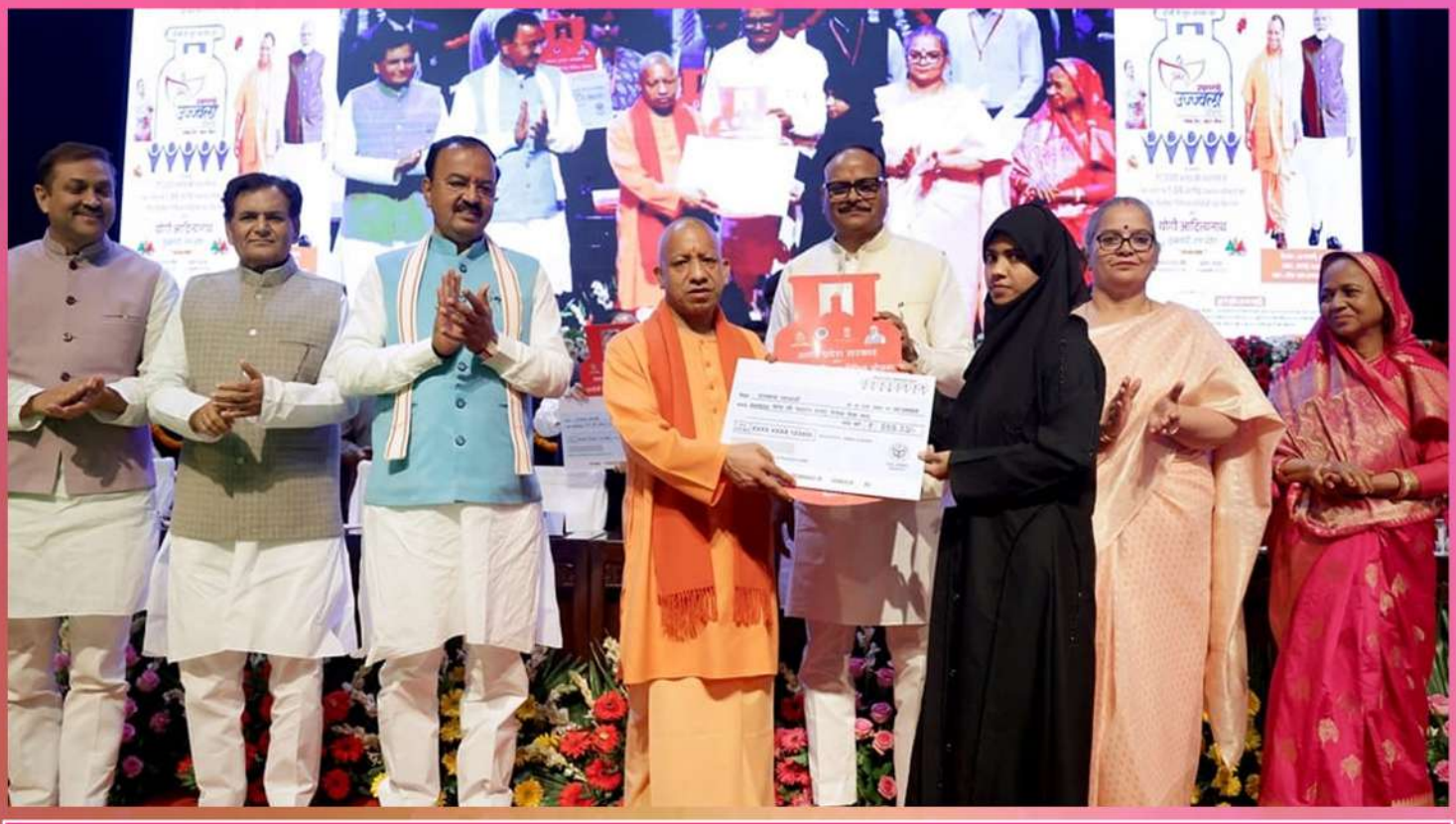

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 01 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला परिवारों को 1,500 करोड़ रु0 की रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी का अन्तरण किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 28 फरवरी, 2026 यहाँ लखनऊ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 01 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला परिवारों को 1,500 करोड़ रुपये की रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी के अन्तरण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने महिला लाभार्थियों को सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होली के पहले घर की खुशी को और बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक भरा हुआ रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा रही है। यह समारोह पूरे प्रदेश में हो रहा है, जिससे लोग होली के अवसर पर अपनी ईंधन आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ ही, त्योहार को और अधिक उत्साह से मना सकें। प्रदेश की डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू की थी। आज 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि 01 करोड़ 86 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की जा रही है। वह इस धनराशि का उपयोग करते हुए अपनी नजदीकी गैस एजेन्सी से होली के पहले अथवा बाद में भरा हुआ सिलेण्डर प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश में पहली बार गरीबों, अन्नदाता किसानों, महिलाओं तथा युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश के अन्दर केवल 04 जातियाँ-गरीब, किसान, महिला एवं युवा हैं। इसमें सभी जातियाँ, पंथ, सम्प्रदाय, मत व मजहब समाहित हैं। योजना का लाभ सभी को 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र के साथ दिया जाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी को समाप्त हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी आज देश में 80 करोड़ जरूरतमन्दों को निःशुल्क राशन की सुविधा मिल रही है। इसमें से 15 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक तथा उत्तर प्रदेश के 01 करोड़ 86 लाख लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। जिसको कभी भी सिलेण्डर की सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी, उसे डबल इंजन सरकार ने यह सुविधा उपलब्ध करायी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने वर्ष में 09 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी दरों पर दिए जाने की पहले से व्यवस्था की है। इसमें कनेक्शन मुफ्त है। केन्द्र सरकार अनुमन्य प्रति सिलेंडर 335 रुपये 40 पैसे की सब्सिडी दे रही है। यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में वापस आ जाती है। इससे धनराशि का दुरुपयोग भी रुकता है और सब्सिडी की सम्पूर्ण धनराशि बैंक खाते में पहुँच जाती है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 05 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा की गारण्टी मिली है। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग कहीं भी 05 लाख रुपये की कैशलेस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल ही उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी यात्रा से वापस आए हैं। श्री मौर्य ने प्रदेश में निवेश और उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर कोई नहीं देखता था। आज देश-दुनिया का प्रत्येक बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सरकार उसे सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान भी कर सकती है। जर्मनी, जापान एवं सिंगापुर सहित देश-दुनिया से होने वाला निवेश सम्पूर्ण प्रदेश को लाभान्वित करेगा। यहाँ के युवाओं को नौकरी व रोजगार मिलेगा तथा उन्हें सरकार की गारंटी के साथ अन्य देशों में भेजा जा सकेगा। इसके लिए लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने देश को आगे बढ़ने का विजन दिया। इस विजन को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं के प्रति संवेदना, लोगों को बीमारी से मुक्ति, नौजवानों को रोजगार, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली, बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों को सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

उ0प्र0 अपने नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा देकर, 'उत्सव प्रदेश' बन चुका है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जी 02 मार्च, 2026 को जनपद गोरखपुर में भक्त प्रह्लाद की शोभायात्रा का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री जी ने होलिकादहन-भक्त प्रहलाद शोभायात्रा के लिए सजाए गए रथ पर अवस्थित भक्त प्रहलाद के चित्र की पूजा अर्चना के साथ पुष्प अर्पित किये तथा जनसमूह पर पुष्प वर्षा करते हुए फूलों से होली खेली। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज सबको सुरक्षा का एहसास है और सबके मन में एक विश्वास है। सबके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। यही एहसास और विश्वास रामराज्य की अवधारणा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति रहेगी, तो भारत को विकसित बनने में कोई देर नहीं लगेगी।

मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में उपद्रव, अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है। लेकिन हम भारतवासी गर्व कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यशस्वी

नेतृत्व में देश बुलंदी की नई ऊंचाइयां छू रहा है और हमें नए भारत के दर्शन हो रहे हैं। नया भारत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक तबके को अवसर उपलब्ध कराकर उत्सव का वातावरण दे रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा देकर, 'उत्सव प्रदेश' बन चुका है। अब यू0पी0 में न कर्फ्यू है और न दंगा है, यू0पी0 में अब सब चंगा है। सब ओर उत्सव का माहौल है। विगत 15 दिनों से मथुरा-वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है। सब कुछ स्वतःस्फूर्त भाव से हो रहा है। यह देखकर विदेशी आश्चर्यचकित हैं। होली उत्सव में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमें किसी की जाति का पता नहीं है, लेकिन सभी लोग होली का आनंद ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब 'अव्यवस्था से व्यवस्था', 'अराजकता से अनुशासन', 'अधर्म से धर्म' और 'असत्य से सत्य' की यात्रा होती है, तभी हम उपद्रव से उबरकर उत्सव की यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यही उत्सव आज गोरखपुर के विरासत गलियारे में देखने को मिल रहा है। पहले पाण्डेयहाता आने के लिए संकरी गली थी। वाहन मुश्किल से आ पाते थे। व्यापार अस्त-व्यस्त था। ग्राहक नहीं आ पाते थे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर का विरासत गलियारा पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के व्यापारियों और नागरिकों के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सुविधा न देने, कंजेशन और जाम के कारण यहां का कारोबार उजड़ने लगा था। अब यह विरासत गलियारा प्रदेश का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा। विरासत गलियारा बनने से प्रभावित व्यापारियों को घण्टाघर के बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें दी जा रही हैं। इसके बाद जो दुकानदार शेष रह जाएंगे उनके लिए डायट के पास कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके लिए जगह चिन्हित करने के साथ ही, धनराशि भी आवंटित कर दी गयी है। अब विरासत गलियारा नव विकास से एक बार फिर व्यापार का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। सरकार का संकल्प है कि किसी को उजड़ने नहीं देना है, बल्कि अवसर देकर आगे बढ़ाना है।

चिकित्सा सुविधा ऐसी हो, जिसमें किसी भी स्तर पर छल न हो और प्रत्येक व्यक्ति से वहन करने की क्षमता रखता हो। : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05 मार्च, 2026 को ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में के0डी0एस0जी0 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री कपिलदेव ने सेवा के प्रकल्प को दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से आगे बढ़ाया है। इससे गौतमबुद्धनगर वासियों के साथ-साथ एन0सी0आर0 से जुड़े समस्त जनपदों के नागरिकों को सुपर स्पेशियलिटी की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा 'सही, सस्ती एवं विश्वसनीय सेवा' है। चिकित्सा सुविधा ऐसी हो, जिसमें किसी भी स्तर पर छल न हो और प्रत्येक व्यक्ति उसे वहन करने की क्षमता रखता हो। कोई भी मरीज एक विश्वास के साथ डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर की राय सही एवं प्रत्येक मरीज के लिए सुलभ होनी चाहिए। डॉक्टर का अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। बाकी काम दवा और दुआ कर देती है, जिससे मरीज शीघ्र लाभ प्राप्त करता है और डॉक्टर व हॉस्पिटल की प्रसिद्धि होती है।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहता है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किये हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रत्येक व्यक्ति तक और अधिक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में आसानी होती है। 300 बेड के इस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरा-मेडिकल स्टाफ, टेक्निशियन, वार्ड बॉय, दाई, स्वीपर आदि सम्मिलित होंगे। अर्थात्, यह हॉस्पिटल सेवा के साथ-साथ रोजगार तथा स्वावलम्बन की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी सम्प्रभु देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां 05 करोड़ 60 लाख से अधिक गोल्डेन कार्ड बनाये गये हैं। इसके माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी सरकारी या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 05 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस योजना के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। आज सुपर स्पेशियलिटी की सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी रेट व निजी क्षेत्र के रेट व्यवहारिक हुए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि के0डी0एस0जी0 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने एजुकेशन एण्ड हेल्थ केयर में कार्य करने वाली महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित संस्था डी0वाई0 पाटिल ग्रुप को इसके संचालन का दायित्व दिया है। इस ग्रुप ने महाराष्ट्र में काफी अच्छा कार्य किया है। इस अनुभव का लाभ जनपद गौतमबुद्धनगर के साथ एन0सी0आर0 से जुड़े जनपदों को भी प्राप्त होगा। प्रत्येक भारतवासी की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। इस दृष्टि से के0डी0एस0जी0 ग्रुप ने इस दिशा में स्पोर्ट्स के बाद हेल्थ केयर के क्षेत्र में सेवाएं देने का नया प्रयास प्रारम्भ किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज भारत हेल्थ के साथ ही, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। वर्ष 2014 तक भारत में केवल 06 एम्स कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी पहल के परिणामस्वरूप, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के साथ देश में 23 एम्स बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 से पूर्व, सरकारी क्षेत्र में 17 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। डबल इंजन सरकार के प्रयास से आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज अलग-अलग जनपदों में संचालित हैं। प्रदेश के 04-05 जनपद ऐसे शेष हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार की एक पॉलिसी है। अगर के0डी0एस0जी0 ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां निवेश करेगा, तो नये मेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

क्यू0आर0टी0 वाहनों की उपलब्धता सोशल सिक्योरिटी, इण्डस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 मार्च, 2026 को यहां लोक भवन, लखनऊ में 50 क्यू0आर0टी0 वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 'सेफ यू0पी0' और 'समृद्ध यू0पी0' की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को अभिनव प्रयासों के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश को समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर लेकर जा रहे हैं। विकास की पहली शर्त सुरक्षा होती है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के प्रयासों की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारम्भ होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कार्य करके दिखाया है कि एक बिगड़े हुए, अराजक, दंगाग्रस्त और कर्फ्यूग्रस्त राज्य को भी 'सेफ यू0पी0' के रूप में बदला जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है। प्रदेश पुलिस ने हर वह कार्य किया, जो भारत की आत्मा वाले राज्य को सजाने व संवारने के लिए यहां के नेतृत्व ने चाहा है। विगत 09 वर्षों में इन कार्यों के परिणाम भी सभी के सामने हैं। इन वर्षों में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। इसके लिए कुछ कदम उठाए गए तथा रिफॉर्म किए गए। ट्रांसफॉर्मेशन बिना रिफॉर्म के नहीं हो सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पास कुल 9,500 चार पहिया वाहन थे। आज इनकी संख्या 15,500 से अधिक हुई है। दो पहिया वाहनों की संख्या वर्ष 2017 में मात्र 3,000 थी। आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक हुई है। यह वृद्धि केवल संख्या में ही नहीं हुई है, बल्कि इससे पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को न्यूनतम करने में सफलता मिली है। आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली त्वरित कार्यवाही ही ट्रस्ट में बदलती है। यह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मॉडर्न पुलिसिंग के 03 महत्वपूर्ण सूत्र-इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी बताए हैं।उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में लखनऊ पुलिस लाइन्स के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां के बैरकों की अव्यवस्था स्वयं देखी थी।आज प्रदेश के 55 जनपदों में सबसे ऊँची बिल्डिंग उत्तर प्रदेश पुलिस अवस्थापना सुविधाओं की है। आज राज्य में मॉडल थाने, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग क्षमता मात्र 03 हजार थी। हमारी सरकार द्वारा पुलिस के ट्रेनिंग सेण्टरों की अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया गया। हाल ही में प्रदेश पुलिस बल में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गयी। सभी नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेण्टरों में करायी गयी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में तीन नये आपराधिक कानून लागू किये गये। इन तीन नये कानूनों में 07 वर्ष से अधिक की प्रत्येक सजा पर फॉरेन्सिक साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में 02 फॉरेन्सिक लैब थीं। आज प्रदेश में 12 फॉरेन्सिक लैब हैं। ए-ग्रेड की 06 फॉरेन्सिक लैब निर्माणाधीन हैं। एक विश्व स्तरीय फॉरेन्सिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश में है। इस इंस्टीट्यूट में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टीफिकेट कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। प्रत्येक जनपद में 02-02 फॉरेन्सिक मोबाइल वैन तैनात हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, एस0 डी0 आर0 एफ0 का गठन हो चुका है। पी0ए0सी0 की 03 महिला बटालियन का गठन किया जा चुका है और 03 नई महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन किया जा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। जब टेक्नोलॉजी और ट्रॉंसफॉर्मेशन एक साथ होता है तथा इसके जो परिणाम आते हैं, वही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनते हैं। आज देश और दुनिया के बड़े निवेशक प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। उन्हें प्रदेश की जीरो टॉलरेन्स एवं जीरो करप्शन की नीति पर विश्वास है। प्रदेश में बेटियां एवं व्यापारी सुरक्षित हैं। व्यापारी उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षों में प्रदेश में विकास सम्बन्धी अनेक कार्य किये गये हैं। प्रदेश में 02 लाख 19 हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गयी है। आज प्रदेश में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है, जिससे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल एवं पी0ए0सी0 बल की मांग देश के अन्य राज्यों द्वारा भी की जाती है। प्रदेश सरकार तथा प्रदेश की पुलिस अपनी जीरो टॉलरेंस एवं जीरो करप्शन की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम राज्य को सेफ व समृद्ध स्टेट तथा भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

मुख्यमंत्री जी ने हॉण्डा इण्डिया फाउण्डेशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फाउण्डेशन ने सी0एस0आर0 निधि से 50 क्यू0आर0टी0 वाहन उत्तर प्रदेश पुलिस बल को उपलब्ध कराये हैं। सुरक्षा के वातावरण में ही बेहतर व्यवसाय फलता-फूलता है, उद्यम आगे बढ़ता है तथा युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी करे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 07 मार्च, 2026 को जनपद आगरा में यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब सरकार, समाज और संस्थाएं मिलकर एक दिशा व सोच के साथ कार्य करती हैं, तो परिणाम कई गुना बेहतर प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे तथा निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी करे। प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। प्रदेश के जिन जनपदों में और अधिक मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता है, वहाँ नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकार सहायता कर रही है।

उल्लेखनीय है कि 250 बेड युक्त मल्टी सुपर स्पेशियलिटी यथार्थ हॉस्पिटल में व्यापक टर्शियरी केयर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मरीजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए इस अस्पताल में अत्याधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, रोबोटिक सर्जरी, उन्नत क्रिटिकल केयर यूनिट्स और 24x7 इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। इससे मरीजों को समय पर और प्रभावी उपचार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यथार्थ ग्रुप ने अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा जनपद में यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की है। जब अष्ट सिद्धियां होती हैं, तभी नौ निधियां भी प्राप्त होती हैं। यह हॉस्पिटल इस ध्येय को चरितार्थ करेगा। यथार्थ ग्रुप का यह 8वाँ हॉस्पिटल है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। सम्प्रभुता सम्पन्न देशों को यह सुविधा अपने नागरिकों को प्रदान करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले देश में केवल एक एम्स था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने इनकी संख्या बढ़ाकर 06 कर दी। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इनकी संख्या 23 तक पहुँचा दी है। देश में आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, एन0आई0टी0, आई0आई0आई0टी0 आदि संस्थानों की एक लम्बी श्रृंखला स्थापित की गयी है। सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने देश के विकास की तीव्र गति के साथ कदम-ताल मिलाया है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में निःशुल्क डायलिसिस, सी0टी0 स्कैन के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित विश्व की अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदेश में लाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आई0आई0टी0 कानपुर तथा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किये जा रहे हैं। दवाओं का आयात कम करने तथा उनकी मैन्युफैक्चरिंग व उत्पादन प्रदेश में करने के लिए ललितपुर में 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में फॉर्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग व उत्पादन राज्य में करने के लिए आगरा से एक घण्टे की दूरी पर स्थित यमुना अथॉरिटी में 350 एकड़ क्षेत्रफल में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हुआ है। इसके परिणाम हम सभी को देखने का मिल रहे हैं।

सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन से ब्रज क्षेत्र की पहचान और अधिक सुदृढ़ होगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 07 मार्च, 2026 जनपद मथुरा स्थित वृन्दावन में गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी परिसर स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की अष्टम बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परम्परा का अत्यन्त महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रदेश सरकार यहाँ की परम्परा और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तीर्थ स्थलों के संरक्षण के साथ ही, श्रद्धालुओं की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, आधारभूत ढांचे के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ब्रज क्षेत्र की पहचान और अधिक सुदृढ़ होगी तथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

बैठक में लगभग 300 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास, तीर्थ स्थलों के संरक्षण तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मथुरा-वृन्दावन रेल मार्ग के 11.80 किलोमीटर लम्बे ट्रैक को 4-लेन मार्ग में विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग, ब्रज तीर्थ विकास परिषद तथा जिला प्रशासन को रेलवे विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि अथवा भूमि मूल्य से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पॉड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की व्यावहारिकता का अध्ययन किया जाए। उन्होंने ब्रज की प्रसिद्ध 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए सम्बन्धित विभागों को कार्ययोजना तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में गोवर्धन, मथुरा और वृंदावन में पार्किंग, टी0पी0ओ0 तथा अन्य जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए चिन्हित भूमि पर पी0पी0पी0 मॉडल के तहत कार्य कराने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने छाता क्षेत्र के ग्राम अजीजपुर में प्रस्तावित वॉटर म्यूजियम के लिए चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग से परिषद को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने ब्रज क्षेत्र में 36 वनों के ईको-रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए आगामी वर्षा ऋतु में वन महोत्सव के दौरान व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अभियान में जल संरक्षण, खारे पानी के उपचार तथा जनसहभागिता को भी शामिल करने पर बल दिया। बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विकसित होने वाली हेरिटेज सिटी पर भी चर्चा हुई।

बैठक में यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के अंतर्गत मथुरा से वृन्दावन के बीच जलमार्ग विकसित कर पी0पी0पी0 मॉडल पर क्रूज और नौका संचालन शुरू करने की योजना पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री जी ने गोवर्धन स्थित पारसौली में सूरदास ब्रज अकादमी के संचालन के लिए आवश्यक कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने परिषद की वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करते हुए कहा कि परिषद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के बजट में किसी प्रकार की कटौती न की जाए और उन्हें शीघ्र धरातल पर उतारा जाए। नगर निकायों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने जल निगम और नगर निगम द्वारा एस0टी0पी0, एस0पी0एस0 तथा पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कर यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विभिन्न विभागों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मथुरा-वृन्दावन सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों के अनुसार मथुरा-वृन्दावन रेल ट्रैक के स्थान पर 11.80 किलोमीटर लम्बा 4-लेन मार्ग विकसित करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग और धर्मार्थ कार्य विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मथुरा, वृन्दावन और गोवर्धन में पार्किंग तथा अन्य जनसुविधाओं का विकास पी0पी0पी0 मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।

यमुना नदी में मथुरा से वृन्दावन के बीच जलमार्ग विकसित कर क्रूज और नौका संचालन की योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, ब्रज क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए 36 वनों के ईको-रेस्टोरेशन और व्यापक वृक्षारोपण अभियान को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा छाता क्षेत्र के ग्राम अजीजपुर में प्रस्तावित वॉटर म्यूजियम के लिए चिन्हित भूमि को सिंचाई विभाग से परिषद को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के डोनेशन मैनेजमेण्ट डिजिटल सिस्टम का शुभारम्भ किया।मथुरा भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। मुख्यमंत्री जी ने गीता शोध संस्थान के निर्माणाधीन स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया। उन्होंने अन्नपूर्णा भवन की पाकशाला का अवलोकन किया तथा भोजन हेतु लोगों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री जी ने मथुरा के थाना पर्यटन में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। यह थाना अपराध नियंत्रण के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए, आज का समारोह नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 08 मार्च, 2026 को यहाँ लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 'रोजगार संगम पोर्टल' मोबाइल ऐप का शुभारम्भ, श्रम विभाग द्वारा सेवायोजित तथा नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण तथा उत्कृष्ट महिला कार्मिकों, बाल विवाह की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं, राजकीय बाल गृहों की मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बालिकाओं को चेक प्रदान किए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीमा प्रीमियम और साड़ी/वर्दी हेतु 38 करोड़ 49 लाख रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं एवं सेवा मित्रों को यूनिफॉर्म का वितरण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रतीकात्मक आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी मण्डल के जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर की विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने रोजगार महाकुम्भ-2026 (पिंक एडिशन) का शुभारम्भ कर इसका अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री जी ने 50 वर्षों के कालखण्ड के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कारण आये परिवर्तनों पर आधारित पुस्तिका 'आत्म मन्थन', बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण हेतु उठाये गये कदमों पर आधारित 'सारथी' तथा उदिता फाउण्डेशन की पुस्तिका 'नवदिशा' का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि नारी सुरक्षित है, तो समाज सुरक्षित है। नारी का सम्मान है, तो समाज का सम्मान है। नारी यदि स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है, तो सम्पूर्ण समाज स्वावलम्बन के पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश की प्रत्येक नारी स्वावलम्बन के पथ पर अग्रसर हो रही है। सरकार जब निराश्रित महिलाओं के साथ खड़ी होती है, तो वह महिला स्वावलम्बन का एक मॉडल बनाती है। वर्तमान में प्रदेश में 36 से 37 प्रतिशत महिलायें अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। यह महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। अब बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर उसकी स्नातक तक की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार 25 हजार रुपये का पैकेज प्रदान कर रही है। 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकार बेटियों के विवाह के लिये 01 लाख रुपये प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार जल्द ही बेटियां के लिये रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भ में स्नातक व परास्नातक अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों, बाल विवाह की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा '181' महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया है। राजकीय बालिका गृहों में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने तथा 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के अन्तर्गत मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां अपना प्रत्येक कार्य स्मार्ट फोन के माध्यम से अपलोड करेंगी। इसके आधार पर उनको परफॉरमेंस आधारित सम्मानजनक मानदेय दिया जायेगा। आज उनको 05 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा के लिए कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार की सुविधा आशा वर्कर व रसोईया आदि को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां आयोजित पिंक रोजगार मेले में अनेक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। बेटियों से संवाद के दौरान उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव झलक रहा था। यदि यह आत्मविश्वास सभी के मन में आ जाये, तो भारत को विकसित होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। महिलायें अवसर मिलने पर प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में लोक सभा व राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों पर बेटियां और बहनें चुनकर आयेंगी। महिलाओं को लखपति दीदी व ड्रोन दीदी के रुप में आगे बढ़ाने, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उनके स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त करने, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने जैसे कार्य नारी शक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वर्ष 2017 में प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इससे पहले प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज प्रदेश की प्रत्येक बेटी स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस बल में 20 प्रतिशत बेटियों को आरक्षण दिया गया है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थीं। अब इनकी संख्या कई गुना बढ़कर 44,000 से अधिक हो गयी है। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में प्रत्येक छात्र व छात्रा को बिना भेदभाव निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते-मोजे आदि के लिये डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में हम अनेक नयी योजनाएं लेकर आये हैं। युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब पर आधारित बजट में इन सभी लोगों के उत्थान के लिये व्यवस्था की गयी है। बजट में महिलाओं के लिए कुछ स्कीम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक ऋण की व्यवस्था की गयी है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं, जिन्हें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा ऋण चाहिए। उन्हें अपने घर के कार्य के लिए कम पैसे का ऋण चाहिए। इस बार के बजट में इसकी व्यवस्था की गयी है। बजट में प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के लिये भी धनराशि की व्यवस्था की है। यह केन्द्र सरकार की शी-मार्ट योजना से प्रेरित है। योजना के माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक आसान पहुंच प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 11 वर्षों में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। सरकार 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में दो बार, होली और दीपावली पर, निःशुल्क रसोई गैस के रिफिल सिलेण्डर उपलब्ध कराती है। डबल इंजन सरकार द्वारा 01 करोड़ 06 लाख से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धजन और दिव्यांगजन को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना में विभिन्न जनपदों में महिलाएं कार्य कर रही हैं। लखनऊ के चिकनकारी कार्य में 100 प्रतिशत महिलाएं इस अभियान के साथ जुड़ी हैं। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के बाद अब सरकार 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' योजना की ओर अग्रसर हुई है। घर के अन्दर महिलाएं ही स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती हैं। यह महिलाओं के लिए एक नया अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित लगभग 20 हजार स्टार्टअप में से आधे से अधिक महिलाओं द्वारा संचालित हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल इण्टरप्रेन्योर की स्थापना करने की एक नई स्कीम शुरू की गयी है। प्रदेश में 8,000 न्याय पंचायत हैं, जिसमें से 4,000 से अधिक न्याय पंचायतों में केवल महिलाएं भर्ती होने वाली हैं। यह महिलाएं प्रत्येक न्याय पंचायत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी तथा अन्य लोगों को जोड़ेंगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बी0सी0 सखी प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग लेनदेन का काम कर रही हैं, जो एक मॉडल है। झांसी की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के बाद आज गोरखपुर, काशी, बरेली व आगरा में भी इस दिशा में कार्य हो रहा है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान की डबल इंजन सरकार ने पी0ए0सी0 की 34 कंपनियों का पुनर्गठन किया है। महिलाओं के लिए तीन नई बटालियन गठित की गयी हैं और तीनों के नाम भारत एवं उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त, तीन नई महिला बटालियन के गठन की प्रक्रिया भी सरकार आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0एस0सी0 की वर्ष 2025 की सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में प्रदेश की कई बेटियों ने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के अन्दर महिला कार्यबल बढ़ रहा है। गांव या दूरदराज से आने वाली बेटी के लिए सरकार ने विभिन्न जनपदों में ऐसे छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है, जहां वे सुरक्षा के साथ आराम से रह सकें।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना की जा रही है। इस बार के बजट में इसके लिए धनराशि आवंटित कर दी गयी है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को सम्पत्ति पंजीकरण शुल्क में छूट दी गयी है। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत गांवों में एक करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम घरौनी की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि वह बेटी की सुरक्षा, नारी की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा करने तथा उनके स्वावलम्बन के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का लाभ उन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 10 मार्च, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पंजीकरण से पूर्व खतौनी एवं अन्य स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों के अवलोकन व परीक्षण करने के बाद ही पंजीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की वर्तमान प्रभावी धारा-22 एवं 35 के उपरान्त प्रस्तावित धारा-22।ए 22ठ एवं 35। जोड़े जाने हेतु आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्तावित संशोधन से सम्बन्धित विधेयक पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में धारा-22 एवं 35 के उपरान्त धारा-22।ए 22ठ एवं 35। को जोड़ा जा रहा है। धारा-22। विनिर्दिष्ट श्रेणियों के दस्तावेजों को पंजीकरण के लिये प्रतिबंधित करेगी। धारा 22ठ द्वारा पंजीकरण से पहले अचल संपत्ति की पहचान के उपबंध किये गये हैं। धारा 35। ;1द्ध में धारा 17 ;1द्ध के अन्तर्गत आने वाली अचल सम्पत्ति के लिये प्रस्तुत लिखतों के साथ स्वामित्व, अधिकार, पहचान, विधिपूर्ण कब्जे अथवा अन्तरण सम्बन्धी अन्य अधिकारों से सम्बन्धित ऐसे दस्तावेज, जोकि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जायें संलग्न नहीं हैं, तो पंजीकरण अधिकारी उन्हें पंजीकृत करने से इनकार कर देगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। योजना का उद्देश्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ना, ग्रामीण जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी एवं सुरक्षित पहुँच प्रदान करना तथा निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से ग्रामीण मार्गों पर सेवा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के अधीन संचालित होने वाले वाहनों को राज्य सरकार द्वारा परमिट की अनिवार्यता से छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, तो उक्त पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश (नीति)-2026 जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) और किफायती किराया आवास (ए0आर0एच0) घटकों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश (नीति)-2026 जारी किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। दिशा-निर्देश (नीति)-2026 में भविष्य में किसी प्रकार के संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना केअन्तर्गत सम्बन्धित अभिकरणों यथा-बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट,बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मऊ हेतु सीड कैपिटल के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित अभिकरणों यथा-बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मऊ हेतु सीड कैपिटल के रूप में 425 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। उक्त योजना में आवश्यकतानुसार किसी संशोधन/परिमार्जन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 2,500 वर्गमीटर नजूल भूमि नगर निगम, अयोध्या के पक्ष में निःशुल्क आवण्टित/हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु चक नं0-4 मोहल्ला वशिष्ठ कुण्ड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर स्थित नजूल भूमि गाटा संख्या-1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033 मि0 एवं 1035 कुल 07 किता क्षेत्रफल-2,500 वर्गमीटर को नगर निगम, अयोध्या के पक्ष में निःशुल्क आवण्टित/हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 लागू करने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सम्पत्तियों के डिफॉल्टर आवण्टियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाये की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 लागू किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे के सन्निकट जनपद मेरठ में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स के अवस्थापना विकास कार्यों के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने गंगा एक्सप्रेस-वे के सन्निकट जनपद मेरठ में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आई0एम0एल0सी0) का निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर किये जाने हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा पूँजीगत मदों के लिए मूल्यांकित लागत 21381.93 लाख रुपये को अनुमोदित किया है।

ट्रांसगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। व्यय-वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित धनराशि 75313.24 लाख रुपये के सापेक्ष यूपीसीडा द्वारा वांछित धनराशि 46 लाख रुपये है। शेष अनुमोदित धनराशि प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किये जाने के दृष्टिगत, मंत्रिपरिषद द्वारा 46,000 लाख रुपये की धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एफ0डी0आई0 नीति के अन्तर्गत मे0 टीआई मेडिकल्स प्रा0लि0 को अनुमन्य फ्रण्ट-एण्ड लैण्ड सब्सिडी का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश (एफ0सी0आई0), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अन्तर्गत एम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति पर औद्योगिक इकाई मेसर्स टीआई मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुमन्य फ्रण्ट-एण्ड लैण्ड सब्सिडी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन)नियमावली, 2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के नियमावली, 1956 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नियमावली के नियम-21 में एक कैलेण्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किये जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था लायी जा रही है।इसी प्रकार नियम-24 में 01 माह के मूल वेतन के स्थान पर 02 माह से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने के अलावा, प्रत्येक 05 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अचल संपत्ति की घोषणा करने के स्थान पर, प्रत्येक 01 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति घोषित करने की व्यवस्था लायी जा रही है।

उ0प्र0 भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम-1975 की धारा 21 में संशोधन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम-1975 की धारा 21 में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07 मई, 2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। संशोधन के अन्तर्गत धारा 21 से 'कुष्ठ रोग' सम्बन्धी प्राविधान हटाए जा रहे हैं तथा प्राविधानों को मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुरूप किया गया है।

सिखों के विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु 'उ0प्र0 आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026' के प्रख्यापन का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने सिखों के विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु 'उत्तर प्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026' के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने भविष्य में नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।

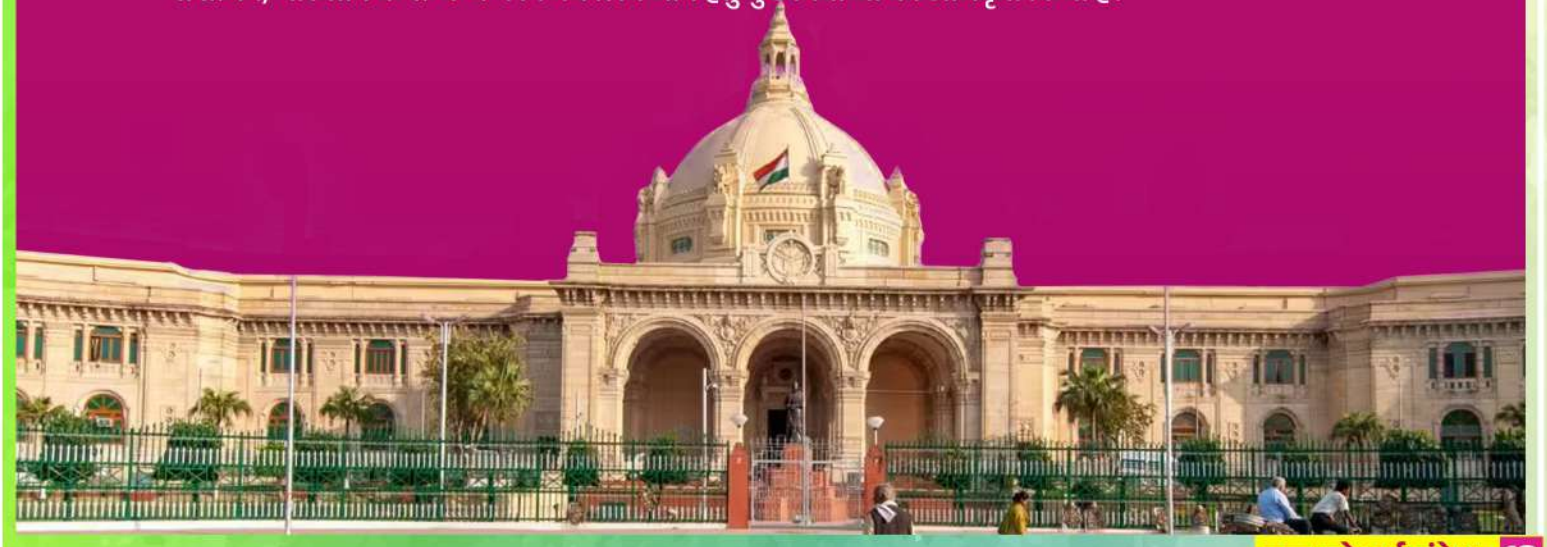

जनपद बांदा में 20 हजार ली0 प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना तथा जनपद झांसी में पूर्व स्थापित 10 हजार ली0 प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का 30 हजार ली0 प्रतिदिन तक क्षमता विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना तथा जनपद झांसी में पूर्व से स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की क्षमता का 30 हजार लीटर प्रतिदिन तक विस्तारीकरण किये जाने की परियोजनाओं हेतु सिविल एवं मैकेनिकल कार्यों के लिए टर्न-की के आधार पर नामित कार्यदायी संस्था मैसर्स इण्डियन डेयरी मशीनरी लिमिटेड (मै0आई0डी0एम0सी0लि0) को नियमानुसार सेन्टेज चार्ज अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सेण्टेज चार्ज अनुमन्य किये जाने पर आने वाला व्यय भार राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियोंको कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों, स्व-वित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों की ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु एम0एस0टी0सी0 लि0 को नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदाता तथा एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लि0 को ट्रान्जेक्शन एडवाइजर नामित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मुख्य खनिजों की ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड को नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदाता तथा एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को ट्रान्जेक्शन एडवाइजर नामित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उ0प्र0 क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम, कानपुर दिये जाने के सम्बन्ध में निष्पादित अनुज्ञा-अनुबन्ध में शुल्क निर्धारण सम्बन्धी संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम दिये जाने के सम्बन्ध में निष्पादित अनुज्ञा-अनुबन्ध में शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष उ0प्र0 का शेयर 356.07 करोड़ रु0 तथा हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन रेणुकाजी बांध परियोजना की लागत के सापेक्ष उ0प्र0 का शेयर 361.04 करोड़ रु0 का व्यय प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून/टिहरी गढ़वाल जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर निर्माणाधीन लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की सलाहकार समिति की 141वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2019 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत 5747.17 करोड़ रुपये (प्राइस लेवल 2018) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य का शेयर 356.07 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जनपद में गिरी नदी पर निर्माणाधीन रेणुकाजी बांध परियोजना की लागत 6946.99 करोड़ रुपये (प्राइस लेवल 2018) (जल घटक की लागत 6647.46 करोड़ रुपये) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य का शेयर 361.04 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

जनपद अयोध्या में चक बाग बिजेसी स्थित चिन्हित 1,350 वर्ग मी0 नजूल भूमि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पक्ष में आवंटित/हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के अनुरोध एवं जिलाधिकारी, अयोध्या से प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में जनपद अयोध्या में चक बाग बिजेसी स्थित चिन्हित नजूल भूमि गाटा संख्या-33 मि0, 34 मि0, 35 मि0, 36 मि0 क्षेत्रफल 1,350 वर्ग मीटर, मोहल्ला बाग बिजेसी, परगना हवेली अवध, तहसील सदर जिला अयोध्या पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के अयोध्या सेक्टर कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु सतर्कता विभाग को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर सशुल्क भूमि आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2026 को प्रख्यापित/अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवां संशोधन) नियमावली, 2026 का प्रख्यापन प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के भर्ती का स्रोत सम्बन्धी नियम-5, कोटा सम्बन्धी नियम-6, चयन प्रक्रिया सम्बन्धी नियम-18 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख), न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति सम्बन्धी नियम-20, नियुक्ति सम्बन्धी नियम-22 के उपनियम (2) एवं परिशिष्ट '1' को संशोधित/प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से, मानक दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के नियम के अध्यधीन कोटा 65 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत निर्धारित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस संवर्ग में अन्यून तीन वर्ष की निरन्तर सेवा रखने वाले और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अन्यून सात वर्ष की सेवा रखने वाले में से, मानक दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के नियम के अध्यधीन कोटा 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत निर्धारित किया जा रहा है।उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में अधिवक्ता (बार) से सीधी भर्ती हेतु कोटा पूर्व की भांति 25 प्रतिशत रहेगा।